RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. **02/2025** **GCMS NO 2025/5**

प्रार्थी–

1. श्री गोरधनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत महिलावास, तहसील सिवाना।
2. श्री मंगलसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
3. श्री हरीसिंह पुत्र सोहनसिंह
4. श्री विशनसिंह पुत्र सोहनसिंह
5. श्री सांवलसिंह पुत्र सोहनसिंह जातियान राजपुरोहित, निवासीयान महिलावास, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6/2 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 3, 4, 6, 6/1, 6/3, 6/4, 7/1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह पुत्र सोहनसिंह के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा महिलावास में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 03

जिला कलक्टर
बालोतरा

दिनांक 05.11.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 266.66 वर्गगज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 60 फीट पकजी पुत्र नरसाजी, बदिशा दक्षिण में 60 फीट व लालजी गणेशजी, पूर्व में 40 फीट पेमाजी पुत्र गुणेशजी एवं पश्चिम में 40 फीट व गली रास्ता आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत महिलावास से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि पंचायतराज अधिनयिम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान है कि उक्त अनुतोष हेतु पंचायत समिति में अपील पेश करे, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पेश करे। पटटा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर है। प्रार्थी पैतृक सम्पति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 स्वामित्व एवं कब्जा रहा है। उक्त भूखण्ड संयुक्त कब्जा किसी का नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह का भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 की निजी सम्पति है। वादग्रस्त भूखण्ड कभी भी प्रार्थी की पुस्तैनी सम्पति नहीं रहा है। पंचायतराज अधिनियम 1996 में बताये गये नियम 145 से 158 तक के सभी नियमों की पालना की गयी। इस प्लोट पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कब्जा व स्वामित्व है अन्य भाईयों का इस पर कोई हक–हिस्सा नहीं है और न ही संयुक्त सम्पति है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर व क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज योग्य है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि ग्राम पंचायत महिलावास की आबादी भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मंगलसिंह वगैरा के हक पूर्वाधिकारी एवं पूर्व सोहनसिंहजी के हक मालिकाना का रहवासीय भूखण्ड पुरोहितो का वास मे आया हुआ है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता सोहनसिंह के हक स्वामित्व का पुश्तैनी रहवासीय भूखण्ड़ है, जिसमें सोहनसिंहजी के जीवनकाल मे सोहनसिंहजी के सभी विधिक वारिसान संयुक्त रुप से रहवास कर रहे थे। सोहनसिंहजी के कुल 6 पुत्र होने से 6 पुत्रो का परिवार बढने से उपरोक्त रहवासीय भूखण्ड़ क्षेत्रफल मे कम स्थित होने से सोहनजी के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 3 से 7 अपने परिवार सहित अलग रहवास करने लगे तथा प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह उपरोक्त भूखण्ड मे संयुक्त रूप से रहवास करते रहे, जिसमे रोजगार की वजह से प्रार्थी राज्य गुजरात मे रहवास करने से उपरोक्त भूखण्ड में बनी तामीर में प्रार्थी का घरेलु सामान रखा हुआ था

जिला कलक्टर
बालोतरा

तथा समय समय पर प्रार्थी जब भी महिलावास आते उपरोक्त रहवासीय भूखण्ड़ मे बने तामीर मे रखे सामान का उपयोग व उपभोग करता एवं कमरे को रहवास के रुप मे उपयोग में लेता। उपरोक्त रहवासीय भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा संयुक्त रुप से उपयोग व उपभोग मे लिये जाने के दरम्यान प्रार्थी की गैर मौजूदगी मे अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार द्वारा पुश्तैनी रहवासीय भूखण्ड में बने कमरे का ताला तोडकर उसमे से प्रार्थी का सामान इत्यादी चुराने का प्रार्थी की पत्नी द्वारा पुलिस थाना सिवाना मे चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया जो प्रकरण संख्या 110/2024 अंतर्गत धारा 379, 447, 427 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया जो जैर अनुसंधान है। उपरोक्त प्रकरण दर्ज होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के परिवार द्वारा जांच अधिकारी को उपरोक्त भूखण्ड़ से सबंधित पटटे की फोटो कोपी पेश करते हुए उपरोक्त भूखण्ड़ को स्वयं के नाम का पटटासुद होना बताते हुए पटटे की प्रति पेश करने पर प्रार्थी को उपरोक्त भूखण्ड बाबत अप्रार्थी 2 के द्वारा गलत तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं कर्मचारीयो से मिलावट कर फर्जी पटटा प्राप्त करने की जानकारी हुई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पटटा प्रार्थना पत्र पेश करते वक्त विवादित भूखण्ड पर पुश्तैनी रुप से तीस वर्षो से अधिक समय से कब्जा होना कथन करते हुए पटटा प्राप्ति का आवेदन किया था, जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड़ सोहनजी के हक स्वामित्व का था जिसमे सोहनजी के सभी विधिक वारिसान का हक समाहिम होने से उनकी गैर मौजूदगी मे एवं सभी विधिक वारिसान से सहमति प्राप्त किये बिना एवं बिना विधिक हस्तांतरण के अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे जारी पटटा पूर्ण रुप से गैरकानूनी एवं अवैध है। पटटा जारी किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि से सबंधित दस्तावेजो की जांच ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी, जिससे भी वादग्रस्त भूमि बाबत स्वत्वः की जांच किये बिना अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पटटा करने का आदेश शुरू से ही अवैध है। ग्राम पंचायत महिलावास के द्वारा पटटा जारी किये जाने से पूर्व आपत्ति नोटिस को किन व्यक्तियो के रूबरू चस्पा किया गया, इस बाबत भी पत्रावली पर किसी प्रकार का हस्ताक्षर वगैरा मौजुद नहीं है न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर मौतबीर व्यक्तियो के रूबरू चस्पा किया गया है। पटटा पत्रावली को आदेशिका में भी ग्राम पंचायत का उल्लेख नहीं होने से पटटा पत्रावली एक ही समय मे एक ही व्यक्ति के द्वारा तैयार की गयी प्रतीत होती है। आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि टाईपसुदा आदेशिका पहले से टाईप की हुई थी जिसमें खाली जगहो को हाथ से भरा गया है जिससे भी पटटा निष्पादन किये जाने मे पंचायत राज के प्रावधानो की अवहेलना की गयी है। पटटा पत्रावली में विवादित भूखण्ड के आस पडोसीयो व अन्य ग्रामीणो के बयान कलमबद्ध नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि तथाकथित पटटा मिलावटी रुप से जारी किया गया था। पटटा जारी करने से पूर्व पटटा पत्रावली में पंचायत राज अधिनियम के तहत सम्पूर्ण जांच नहीं किये जाने से भी तथाकथित पटटा जारी करने का आदेश अवैध, गैरकानूनी है। स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह द्वारा भूमि विकय विलेख प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जासुदा रहवासीय प्लोट होना बताया तथा अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह द्वारा शपथ पत्र पेश किया, उसमे भी 50 सालो के दौरान बना हुआ मकान होना नहीं बताया है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के नाम धारा 257 के तहत पटटा जारी करने का आदेश अवैध है। मौका कमिश्नर ने जो आबादी भूमि का निरीक्षण प्रपत्र ग्राम पंचायत में पेश किया, उसमे भी अप्रार्थी संख्या. 2 का 50 साल पुराना गृह बना

जिला कलक्टर
बालोतरा

हुआ नहीं बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 3 दिनांक 05.11.2009 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 स्वामित्व एवं कब्जा रहा है। उक्त भूखण्ड संयुक्त कब्जा किसी का नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 मंगलसिंह का भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 की निजी सम्पति है। वादग्रस्त भूखण्ड कभी भी पुस्तैनी सम्पति नहीं रहा है। सोहनजी के जीवनकाल में ही सभी भाईयों का बंटवाड़ा कर अलग–अलग भूखण्ड दे दिये थे, जिसमें प्रार्थी गोरधनसिंह का रहवासीय भूखण्ड मय मकान वादग्रस्त भूखण्ड से करीब 200 मीटर दूर रेलवे स्टेशन मोकलसर के समीप स्थित है। सोहनजी के जीवनकाल में ही उक्त भूखण्ड में रहवास शुरू कर दिया था। सोहनजी अपने बेरे पर ही रहवास करते थे तथा सोहनजी के जीवनकाल में ही सभी भाई अलग होकर अपने–अपने मकान ग्राम महिलावास में बना दिये थे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा था, जिसमें निर्माण कर रहवास शुरू किया। उससे पहले ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3, 6 व 7 द्वारा मकान बनाकर रहवासीय मकान बनाकर अलग हो गये थे तथा व्रादग्रस्त भूखण्ड जो कि अप्रार्थी संख्या 2 का हक स्वामित्व का कब्जासुंदा था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना रहवासीय मकान बनाया जिसमें आज से 30–35 साल पहले ही अप्रार्थी संख्या 2 के नाम विद्युत व जल कनेक्शन ले लिया था। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से झूठी निगरानी प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक स्वामित्व के भूखण्ड के पट्टासुदा को प्रश्नगत किया है, जबकि उक्त भूखण्ड से प्रार्थी का कोई लेन–देना नहीं है। सोहनजी के देहान्त से पहले ही निगराकार एवं विशनसिंह, पहाड़सिंह, हरीसिंह अलग होकर अपने–अपने कब्जासुद भूखण्ड में निवास कर रहे है।प्रार्थी पैतृक सम्पति का सत्य कथन करते हुए निगरानी प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी की बात को सत्य भी मान लिया जाये तो भी पैतृक सम्पति के बंटवाड़े का दावा करना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 2 का निजी सह कब्जा का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड जिस पर ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा 167 (1) राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (क) के तहत पुराने गृहों का विनयमितिकरण के तहत आबादी भूमि का विकय विलेख पटटा जारी किया गया जिसका प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.11.2009 लिया जाकर विधि अनुसार मौका निरीक्षण कर नियमानुसार शुल्क रूपये 200/– जो रसीद संख्या 20/21.12.2009 पंचायत कोष में जमा करवाकर उक्त पट्टा जारी किया गया, जिसका पंजीयन धारा 54 पंजीयन अधिनियम के तहत दिनांक 27.07.2010 को पंजीबद्ध किया गया है। पटटा पंजीकृत करने के बाद एक कम्पलीट एक्शन है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेजात की वैधता विधिमान्यता देखने का अधिकार श्री न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। पटटा पंजीकृत दस्तावेज तथा पंजीकृत दस्तावेज को वाईड डिक्लेयर किये जाने हेतु सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जहां पर न्यायालय शुल्क अदा किये जाने के पश्चात् सिविल दावा किया जाता है, प्रार्थी द्वारा कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किये जाने के उद्देश्य से प्रावधित रेमेडी नहीं ली गयी है। पंजीकृत दस्तावेज को अपास्त किये जाने का अधिकार केवल

जिला कलक्टर
बालोतरा

दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है व कोई भी टाईटल डिसाईड करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा विधि की पालना में पुराने गृहों का विनयमितिकरण के तहत नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है व विधि अनुसार जारी किया गया है। उक्त पट्टा पत्रावली के नोटिस ग्राम पंचायत महिलावास ने नियमों के मुताबिक चस्पा कर म्याद उपरांत विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्तं पट्टे की पत्रावली की आदेशिका ग्राम पंचायत द्वारा ही नियमानुसार बैठक आहत कर प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया जाता है, जो आदेशिका से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर पूछताछ कर बयान लेकर उक्त सार्वजनिक बैठक में प्रस्ताव लेकर नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का भूखण्ड 50 वर्ष पुराना है, जिसका मौका निरीक्षण ग्राम पंचायत की मौका कमेटी द्वारा किया गया, उसके उपरांत पट्टा जारी किया गया। अनिगराकार द्वारा पटटा जारी करने में पंचायीतराज अधिनियम 1956 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पट्टा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज के नियमों की पालना करते हुए सही व न्यायोचित उक्त आलोच्य पटटा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना म्याद बाहर होने के साथ साथ सारहीन होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

7. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया कि उपरोक्त निगरानी विलम्ब से पेश किये जाने के कारण पोषणीय नहीं होने से प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जहां पर म्याद प्राविधित नहीं हो वहां पर रिजनेबल पिरियड 03 वर्ष समझा जायेंगा, इसके अतिरिक्त लिमिटेशन एक्ट शेडयूल 137 में भी जहां पर म्याद नहीं प्रारम्भिक हो, वहां 03 वर्ष की अवधि रिजनेबल पिरियड माना गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक स्तर पर म्याद बाहर है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध होते हुए भी रिविजन प्रस्तुत की गयी है, पंचायतराज अधिनयिम की धारा 61 एवं नियम 166 में स्पष्ट है कि अपील के प्रावधान है कि उक्त अनुतोष हेतु पंचायत समिति में अपील पेश करे, न कि न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी पेश करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार बाहर पेश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार बाहर एवं म्याद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.11.2009 को ग्राम पंचायत महिलावास की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 03 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के पैतृक स्वामित्व का न होकर प्रार्थी एवं उनके पूर्वजों का पैतृक भूखण्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है और न ही पंचायत राज नियमों की पालना

जिला कलक्टर
बालोतरा

की गई। इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा मिसल सं. 05/2009–10 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 05.11.2009 में पारित संकल्प सं. 5 दिनांक 05.11.2009 के अनुसरण में नियम 157 के तहत नियमितीकरण की सिफारिश करते हुए आलौच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं। उक्त प्रश्नगत पट्टा कार्यालय उपपंजीयक, सिवाना द्वारा पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 125, पृष्ठ संख्या 137, क्रम संख्या 2010001638 पर पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 27.07.2010 को पंजीबद्ध किया गया है, होना पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम के संपूर्ण नियमों का विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा इस संबंध मे ग्राम पंचायत महिलावास से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ने सरपंच, ग्राम पंचायत महिलावास के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 06.08.2009 को पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई। जिसमें अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157 के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। जिस पर संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.11.2009 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियमों का विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पैतृक स्वामित्व व सामलाती का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से स्वामित्व की पुष्टि हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का हैं। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर आलौच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.11.2009 को यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा